

D-224

कार्यालय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/पु.अ./ई.ओ.डब्ल्यू/ 590 /2015,

रायपुर दिनांक

18/02/15

प्रति,

प्रबंध संचालक  
नागरिक आपूर्ति निगम,  
आवंती विहार, रायपुर

विषय : अप0 क्रमांक 09/2015 धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण  
अधिनियम एवं धारा 109, 120 बी, बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 12.02.2015 को अप0 क्रमांक 09/2015  
धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 109, 120 बी,  
की विवेचना में आपके कार्यालय में पदस्थ निज सहायक श्री गिरीश कुमार शर्मा के  
कार्यालयीन कक्ष से गवाहों के समक्ष 20 लाख रुपये नगद तथा प्रबंधक (पी.डी.एस.प्रभारी)  
श्री शिवशंकर भट्ट के कक्ष से गवाहों के समक्ष 1 करोड़ 62 लाख 97 हजार 05 सौ  
रुपये बरामद किये गये थे।

इस संबंध में जानकारी प्रदान करें कि क्या उक्त रकम किसी शासकीय कार्य से  
संबंधित थी अथवा उक्त भारी मात्रा में जो रकम इनके कक्ष से बरामद की गई है, इनकी  
व्यक्तिगत है।

कृपया वांछित जानकारी दिनांक 18.02.2015 तक अधोहस्ताक्षरी को इस कार्यालय  
में प्रदान करने का कष्ट करें।

8/02/15  
(एस.डी.देवस्थले)

निरीक्षक

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो  
रायपुर, छत्तीसगढ़

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)  
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू/ एस.सी.  
रायपुर (छ.ग.)